राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 780/2012/चुरू.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–प्रथम, चुरू. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स शिव भोले एन्टरप्राईजेज, नीमच (मध्यप्रदेश). .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी. पी. ओझा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित।

दिनांक : 19/04/2017

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), प्रथम, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 44/35/RVAT/APP-III/NRD/10–11 में पारित किये गये आदेश दिनांक 22.02.2011 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 28.07.2009 को वाहन संख्या पी.बी.23/जी–1807 की जांच राजगढ़ जिला चुरू में की जाने पर वाहन चालक द्वारा माल से सम्बन्धित दो अलग–अलग बिल एवं मैसर्स ओरियन्टल रोड़लाईन्स नीमच की दो बिल्टियां एवं माल की कांटा पर्ची प्रस्तुत की गयी थी परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह माना गया कि माल मध्यप्रदेश से बिल अनुसार चण्डीगढ़ जाना प्रमाणित करने के लिये प्रेषक के पास मध्यप्रदेश की कृषि मण्डी नीमच का अनुज्ञापत्र होना आवश्यक है एवं प्रेषक फर्म के बिलों में बिल क्रमांक प्रिन्टेड नहीं होना भी धारा 76(2) का उल्लंघन माना है इस तरह कर निर्धारण अधिकारी द्वारा परिवहनित माल को मध्यप्रदेश राज्य से चण्डीगढ़ जाना मानने से इन्कार कर दिया एवं कृषि मण्डी नीमच का अनुज्ञापत्र नहीं होने, बिलों के क्रमांक हस्तलिखित होने एवं नीमच तथा राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए करापवंचन का मामला मानकर वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपित की। शास्ति आदेश में यह उल्लेख किया गया है कि नीमच राजस्थान राज्य की सीमा से बहुत ही निकट स्थित है एवं इस पूरे क्षेत्र में धनिया की कृषि उपज होती है इसलिए नीमच कृषि मण्डी का अनुज्ञापत्र नहीं होने से माल को राजस्थान से ही भरना मानकर घोषणा पत्र वेट–49 की भी अनिवार्यता बताई गई। इस तरह इन तथ्यों के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा शास्ति आरोपित कर दी गयी।

लगातार.....2

3. उक्त आदेश से व्यथित होकर मध्यप्रदेश की उक्त फर्म द्वारा जयपुर में अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा विस्तृत आदेश पारित कर व्यवसायी की अपील स्वीकार की गई जिसमें विभिन्न माननीय न्यायालयों के आदेशों का उल्लेख कर यह टिप्पणी की है कि केवल अनुमान के आधार पर कर व शास्ति का आरोपण किया जाना पूर्णतया अविधिक एवं अनुचित है तथा माल राजस्थान राज्य के बाहर नीमच मध्यप्रदेश से राजस्थान राज्य के बाहर चण्डीगढ़ के लिये परिवहनित किया जा रहा था, प्रमाणित माना गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

4. राजस्व की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय आदेश विधिसम्मत नहीं है। विभाग की ओर से प्रस्तुत अपील आधारों में जो पक्ष रखा है उसमें भी वही उल्लेख पुनः किया है कि माल का वजन राजस्थान के वे—ब्रिज पर करवाया गया है तथा कृषि मण्डी नीमच का पत्र नहीं है। इससे यह संदेह उत्पन्न हुआ कि माल राजस्थान राज्य से ही लोड किया गया है तथा राजस्थान राज्य से धनिया को राज्य से बाहर भेजे जाने की स्थिति में धनिया के अधिसूचित वस्तु होने के कारण वेट—49 अनिवार्य है जिसके बारे में सुनवाई का अवसर देने के बावजूद कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया। इन लिखित आधारों के अलावा और कुछ कहने की स्वतंत्रता अपील आधारों में बताई गई है, परन्तु अपील बहस में इसके अलावा और कुछ कहने के लिये विभागीय प्रतिनिधि के पास नहीं होने से केवल अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभागीय प्रतिनिधि की एकपक्षीय बहस सुनी गयी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. इस प्रकरण में माल के दस्तावेज, जिसमें बिल्टी, बिल एवं जांच में लिये गये बयान सभी यह प्रमाणित करते थे कि माल का आरम्भ नीमच (मध्यप्रदेश) से हुआ है और उसकी जांच सैंकड़ों किलोमीटर दूर राजगढ़ में हुई जिस रास्ते से वह चण्डीगढ़ परिवहनित हो रहा था। सक्षम अधिकारी द्वारा केवल यह कल्पना की कि उसके पास नीमच का कृषि मण्डी का अनुज्ञापत्र नहीं है अतः वह माल नीमच से नहीं भरा गया है परन्तु इस कल्पना का कि वह माल राजस्थान से भरा गया है, कोई ना तो साक्ष्य है न कोई संदेह होने की वजह है परन्तु सक्षम अधिकारी द्वारा एक काल्पनिक अवधारणा आरम्भ कर पूरे विधिसम्मत बिलों को अमान्य कर नीमच के व्यापारियों को राज्य का माना फिर

लगातार.....3

राज्य का मानते हुए अब उसके लिये पंजीकृत होना माना तथा उससे वेट–49 घोषणा पत्र की अपेक्षा की एवं घोषणा पत्र नहीं होने से शास्ति आरोपित की गयी जबकि सुनवाई हेतु जारी नोटिस के जवाब के साथ फैक्स के जरिये प्राप्त बिल बिल्टी की प्रतियां भी पेश कर दी गयी। कर निर्धारण अधिकारी ने ऐसा कोई प्रमाण नहीं दिया है कि माल राज्य से भरा गया है जबकि मध्यप्रदेश की Exit चैकपोस्ट न्यागांव की सील अंकित थी। इस तरह राज्य के बाहर से अन्य राज्य को प्रेषित माल पर बिना किसी प्रमाण के कल्पना के आधार पर आरोपित शास्ति को अपीलीय अधिकारी ने अपास्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

7. फलतः राजस्व की अपील खारिज की जाती है।

8. निर्णय सुनाया गया।

19/4/2017

(के. एल. जैन)
सदस्य